



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224520
CG-DL-E-18012021-224520

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942

No. 215]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 235(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516 के नए मागरेखा पर गोपालपुर की पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बाईपास का निर्माण" हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारि को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारि के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-516 के नए मार्गरेखा पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	तहसीलदार छतरपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH516 के कि.मी. 0 से 4.527 तक	उड़ीसा	गंजाम	छतरपुर	1 छतरपुर
						2 हुमूरितामपरा
						3 अरज्यापल्ली
						4 टिकिरियाब्रह्मपुर
						5 चाणक्यपुर

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2021

S.O. 235(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for "Construction of Bypass to National Highway No. 516 for port connectivity to Gopalpur in new alignment" in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 516 on new alignment in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village										
1	2	3	4	5	6	7										
1	Tahasildar, Chatrapur	0KM To 4.527KM	ODISHA	GANJAM	CHHATRAPUR	<table><tr><td>1</td><td>Chhatrapur</td></tr><tr><td>2</td><td>Humuritampara</td></tr><tr><td>3</td><td>Arjyapalli</td></tr><tr><td>4</td><td>Tikiriabarhampur</td></tr><tr><td>5</td><td>Chanakyapur</td></tr></table>	1	Chhatrapur	2	Humuritampara	3	Arjyapalli	4	Tikiriabarhampur	5	Chanakyapur
1	Chhatrapur															
2	Humuritampara															
3	Arjyapalli															
4	Tikiriabarhampur															
5	Chanakyapur															

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director